-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 30.06.2024

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

- **आगामी 01 जुलाई को लागू हो रहे तीन नये कानूनों भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता व भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रशिक्षण हेतु पुलिस अधीक्षक बांदा की अध्यक्षता में पुलिस लाइन में प्रशिक्षण कार्यशाला का किया गया आयोजन।**
- **नये कानूनों के बनने के साथ ही पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षित करने के लिए चल रहा था प्रशिक्षण सत्र। प्रशिक्षण सत्र के दौरान पुलिस अधीक्षक बांदा, अपर पुलिस अधीक्षक बांदा, संयुक्त निदेशक अभियोजन व अन्य विधि विशेषज्ञों द्वारा पुलिसकर्मियों को किया गया प्रशिक्षित।**

विवरण- आगामी 01 जुलाई को भारत में लागू होने जा रहे 03 नये कानूनों भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता व भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रशिक्षण हेतु पुलिस अधीक्षक बांदा श्री अंकुर अग्रवाल की अध्यक्षता में पुलिस लाइन में प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में निरीक्षकों, उपनिरीक्षकों, मुख्य आरक्षी तथा आरक्षियों को नये कानूनों के प्रावधानों के बारे में प्रशिक्षित किया गया। बता दें की नये कानून बनने के साथ ही पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षित करने के लिए पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में प्रशिक्षण सत्र चलाया जा रहा है जिसके क्रम में आज विस्तृत कार्यशाला का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण सत्र में पुलिस अधीक्षक बांदा श्री अंकुर अग्रवाल, अपर पुलिस अधीक्षक बांदा श्री लक्ष्मी निवास मिश्र, संयुक्त निदेशक अभियोजन श्री अजय तिवारी तथा अन्य विधि एवं कानून विशेषज्ञों द्वारा पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षित किया गया। पुलिस अधीक्षक बांदा द्वारा पुलिसकर्मियों को तीनों नये कानूनों से संबंधित पुस्तक व पम्प्लेट का वितरण किया गया। पुलिस अधीक्षक बांदा द्वारा नये कानूनों के संबंध में आम जनमानस में व्यापक जनजागरुकता का बढ़ाने के निर्देश भी दिए गए है। कार्यशाला में नये कानूनों के संबंध में पुलिसकर्मियों की प्रश्न पत्र के माध्यम से परीक्षा भी ली गई।